न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 02 / 2024

अनवान : –

1. जतिन नाबालिग पुत्र कालुराम जरिये कुदरती बली माता कृष्णा पत्नी कालुराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
2. ललिता नाबालिग पुत्री कालुराम जरिये कुदरती बली माता कृष्णा पत्नी कालुराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।
3. यमुना नाबालिग पुत्री कालुराम जरिये कुदरती बली माता कृष्णा पत्नी कालुराम जाति जाट निवासी राणीसर तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. कालुराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी रानीसर तहसील नोहर।
2. सतपाल पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी रानीसर तहसील नोहर।
3. चिड़िया देवी पत्नी भगवानाराम जाति जाट निवासी रानीसर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय खुंईया तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायलान**

निर्णय दिनांकः 09/07/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सायलान व गैरसायलान की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 20 / 21 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 6.3740 है० भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 222 / 216 के कुल खसरे 9 की 55.5970 है0 भूमि में से 16867 / 555970 हिस्सा भूमि व रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 108 / 108 के खसरा नं. 2 / 2 में से 1390 / 2591 हिस्सा भूमि सायलान के मृतक दादा भगवानाराम पुत्र हीराराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायलान के दादा भगवानाराम पुत्र हीराराम का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद कुल 3 वारीस गैरसायलान संख्या 1 ता 3 हुए तथा गैरसालय संख्या 1 के तीन संतान सायलान संख्या 1 ता 3 हुए जो कि नाबालिग है। उपरोक्त भूमि सायलान की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जंन्मजात हक हिस्सा है। सायलान के दादा भगवानाराम पुत्र हीराराम ने अपने जीवनकाल में रोही मौजा खुईया की 12 बीघा भूमि बेचान कर दी थी तथा गैरसायल संख्या 1 ने अपने हक [illegible] मौजा कानसर तहसील नोहर की 12 बीघा भूमि पहले ही बेचान कर [illegible] संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में अब गैरसायल संख्या 1 को कोई हिस्सा शेष नहीं बचा है। सायलान के दादा भगवानाराम के नाम दर्ज रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–20[illegible] के खाता संख्या 222 / 216 के कुल खसरे 9 की 55.5970 है० भूमि में से 16867 / 555970 हिस्सा भूमि व रोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:25:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मौजा राणीसर तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 108/108 के खसरा नं. 172/2 में से 1390/2591 हिस्सा भूमि में गैरसायल संख्या 2 ता 3 प्रत्येक 1/3 हिस्सा भूमि एवं शेष 1/3 हिस्सा भूमि सायलान संख्या 1 ता 3 ब० हि० 40 अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा गैरसासयल संख्या 1 के नाम दर्ज रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 20/21 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 6.3740 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में सायलान संख्या 1 ता 3 ब० हि० ब० अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

गैरसायल संख्या 1 जो कि बहुत तेज तर्रार व्यक्ति है जिसने रोही मौजा कानसर की 12 बीघा भूमि पहले ही बेचान कर दी है तथा अब मृतक भगवानाराम के नाम दर्ज भूमि में से भी सायलान को उनके हक हिस्सा से वंचित करके राजस्व रिकार्ड में अपने अकेले के नाम दर्ज करवाकर समस्त भूमि बेचान करने की फिराक है तथा सायलान को भूमि फरोख्त करने की धमकी दे रहा है यदि गैरसायल संख्या 1 अपनी योजना में कामयाब हो जाता है तो सायलान को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में किसी भी सुरत में सम्भव नहीं है तथा सायलान का जीवन का आधार ही खतम हो जायेगा और भूखा मरने की नोबत आ जायेगी इसलिए सायलान गैरासायल संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करा पाने की अधिकारी है कि वह विवादित भूमि को रहन, बैय अथवा मुन्तकील निषिद रहे तथा मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 20/21 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 6.3740 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 222/216 के कुल खसरे 9 की 55.5970 है0 भूमि में से 16867/555970 हिस्सा भूमि व रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 108/108 के खसरा नं. 2/2 में से 1390/2591की 7.7730 हैक्ट भूमि में से 1390/2591 हिस्सा कृषि भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण उक्त भूमि में से प्रार्थीगण के हक हिस्सा के भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 3 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गंई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो, [illegible] है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है और चन्दु की फौतदगी के बाद सायल के दादा यानि की भगवानाम के नाम दर्ज है भगवानाराम का देहान्त हो चुका है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:25:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को रहन बैय की जाती है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी क्योंकि प्रार्थीगण का भी उक्त पैतृक भूमि में हक व हिस्सा है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 20/21 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 6.3740 है० भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि तथा रोही मौजा खुईया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 222/216 के कुल खसरे 9 की 55.5970 है0 भूमि में से 16867/555970 हिस्सा भूमि व रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 108/108 के खसरा नं. 2/2 में से 1390/2591की 7.7730 हैक्ट भूमि में से 1390/2591 हिस्सा कृषि में प्रार्थीगण के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 09/07/2025 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:25:47 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर